न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

निर्णय दिनांक :- 11/01/2021

राजीनामा (251 क) 2021 / 11

हेमराज

बनाम

कालूलाल व रघुनाथ सुमन

प्रार्थी हेमराज पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी कनवास तहसील कनवास द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि उनके खेत की आराजी माल ग्राम बिशनपुरा तहसील कनवास के खसरा नबंर 120 रकबा 1.86 है0, स्थित है। प्रार्थी अपनी खेत पर अप्रार्थी कालूलाल पुत्र रामप्रताप जाति मीना के खेत के खसरा नबंर 2327 की उत्तरी मेढ से होकर जाते हैं, किन्तु अप्रार्थी कालूलाल द्वारा उक्त रास्ते वाली भूमि पर फसल बो रखी हैं जिससे मार्ग अवरूद्व हो गया है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर पडोसी काश्तकार श्री कालूलाल पुत्र रामप्रताप मीना व रघुनाथ सुमन पुत्र आनंदीलाल सुमन को जर्ये दूरभाष न्यायालय मे बुलाया गया। दोनो अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण न्यायालय मे उपस्थित हुये ।

प्रकरण में सुनवायी करते हुये दोनों पक्षों को सुना गया, प्रार्थी हेमराज द्वारा निवेदन किया किया कि प्रार्थी अपने खाते की आराजी माल ग्राम बिशनपुरा के खसरा नबंर 120 रकबा 1.86 है0, में जाने बाबत अप्रार्थी कालूलाल के खाते की आराजी ग्राम सावनभादौं खसरा नबंर 2327 की उत्तरी मेढ से रिकॉर्डेड रास्ता चाहते हैं व अप्रार्थी नबंर 02 रघुनाथ अपनी आराजी की माल ग्राम बिशनपुरा के खसरा नबंर 121 रकबा 0.76 हैक्टर में जाने बाबत् अप्रार्थी कालूलाल के खाते की आराजी ग्राम सावनभादौ खसरा नबंर 2327 की उत्तरी मेढ से रिकॉर्डेड रास्ता चाहते है।

इसी प्रकार प्रार्थी कालूलाल भी अपनी आराजी ग्राम बिशनपुरा खसरा न0 117 रकबा 0.01, खसरा न0 118 रकबा 1.31 हैक्टर भूमि पर ग्राम बिशनपुरा के खसरा न0 120 व 121 की मध्य की मेढ से 4–4 फीट दोनों तरफ से कुल 8 फीट रास्ता चाहते हैं।

इस संबंध में प्रार्थीगण व अप्रार्थी के बीच समझाईश की गई अप्रार्थी द्वारा अपनी आराजी ग्राम सावनभार्दा खसरा न0 2327 की उतरी मेढ पर 16 मीटर लंबाई मे व 8 फीट चोडाई मे रास्ता दिये जाने हेतु अपनी सहमति दी इसी प्रकार आरारजी ग्राम बिशनपुरा खसरा न0 120 व 121 के खातेदारों द्वारा अपनी आराजी 120 व 121 के मध्य की मेढ से 8 फीट चौडा व लंबाई में 130 मीटर रास्ता देने हेतु अपनी सहमति दी। अप्रार्थी कालूलाल द्वारा अपनी आराजी ग्राग सावनभार्दा खसरा 2327 मे से 16 मीटर लंबाई में व 8 फीट चौडाई मे जो रास्ते हेतु भूमि दी जाएगी उसके बदले मे हेमराज व रघुनाथ द्वारा अपनी आराजी ग्राम बिशनपुरा खसरा न0 120 व 121 की मध्य की मेढ [illegible] ही लंबाई अर्थात 16 मीटर लंबाई में व 8 फीट चौडाई मे रास्ते हेतु भूमि [illegible] अप्रार्थी कालूलाल अपनी आराजी ग्राम बिशनपुरा खसरा [illegible] हेतु खसरा न0 120 व 121 की मेढ पर 114 मीटर लंबाई मे [illegible] 8 फीट चौडाई में इस प्रकार कुल [illegible] वर्ग फीट (278 वर्ग मीटर) भूमि का डीएलसी की 2 गुनी दर पर कमशः मोहन[illegible] पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी बिशनपुरा को 1/7 व हेमराज पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 14:53:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)

निवासी कनवास को 6/7 हिस्से का व रघुनाथ पुत्र अणदी लाल जाति माली निवासी सावनभादौ को भुगतान अप्रार्थी कालूलाल करेगा। इस संबंध में बाद मे यदि किसी प्रकार का वाद विवाद होता है तो प्रार्थीगण हेमराज व रघुनाथ इस राशि का भुगतान अप्रार्थी कालूलाल को वापस करेगे साथ ही रास्ते के रूप मे जो भूमि उपयोग मे ली जायेगी उसका उपयोग प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी के द्वारा रास्ते के रूप मे उपयोग मे नही लिया जायेगा तथा मुआवजा राशि की गणना निम्नानुसार हैं

खसरा न0 121 से रास्ते के रूप मे ली जाने वाली भूमि – 114 मीटर × 8 फीट अर्थात 1496 वर्ग फीट(139 वर्ग मीटर)
ग्राम की डीएलसी दर 1,35,604 रूप्ये प्रति बीघा
ग्राम की डीएलसी का 2 गुना 2,71,208 रू
प्रार्थी रघुनाथ को भुगतान की जाने वाली राशि 23,600/–
खसरा न0 120 से रास्ते के रूप मे ली जाने वाली भूमि – 114 मीटर × 8 फीट अर्थात 1496 वर्ग फीट(139 वर्ग मीटर)
ग्राम की डीएलसी दर 1,35,604 रूपये प्रति बीघा
ग्राम की डीएलसी का 2 गुना 2,71,208 रू
प्रार्थी मोहन लाल को भुगतान की जाने वाली राशि 3,371
प्रार्थी हेमराज को भुगतान की जाने वाली राशि 20,229/–
उक्तानुसार प्रार्थीगण को राशि का भुगतान किये जाने के पश्चात रास्ते की आराजी का रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज रिकार्ड करने व मौके पर माप हेतु तहसीलदार को पृथक से पत्र जारी किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.13 14:53:54 IST
Reason: SelfAttested